

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-346/2020/जिला टोंक

हनुमान पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, जाति ब्राहमण , निवासी गोलाहेड़ा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक।

--अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, टोडारायसिंह, जिला टोंक।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, टोंक दिनांक 29.10.2020 जो प्रकरण संख्या 8/2020 बउनवानी हनुमान बनाम तहसीलदार टोडारायसिंह में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:-श्री गिरीश शर्मा (वकील अपी0)

श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय

दिनांक:-30.09.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट हनुमान पुत्र लक्ष्मीनारायण के विरुद्ध तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पत्रावली संख्या 340/20 द्वारा धारा 91(3) एल0आर0एक्ट में कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 12.03.2020 से उसे खसरा नम्बर 319/967 रकबा 1.20 हे0 में से 1.20 हे0 , खसरा नम्बर 321/968 रकबा 1.07 हे0 में से 1.07 हे0 , खसरा नम्बर 287 रकबा 0.23 हे0 में से 0.23 हे0 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.50 हे0 चरागाह भूमि से ग्राम गोलाहेड़ा से पश्चातवृत्ति अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने , शास्ति कायम करने एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त निर्णय के विरुद्ध वर्तमान अपीलांट द्वारा ए0डी0एम न्यायालय टोंक में प्रकरण संख्या 8/2020 के द्वारा एल0आर0एक्ट की धारा 75 के तहत प्रथम अपील दर्ज करवायी। उक्त अपील में सुनवाई करने के बाद ए0डी0एम न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 12.03.2020 को यथावत रखते हुए दिनांक 29.10.2020 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे रूष्ट होकर उक्त अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई है—

1. तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया।



2. विवादित भूमि पर उसके पिता लक्ष्मीनारायण के समय से विगत 70 वर्षों से काबिज है तथा दिनांक 28.06.1963 जिला कलक्टर टोंक द्वारा भी उक्त भूमि पर काबिज व्यक्तियों को गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये थे। तत्समय तहसीलदार द्वारा भी इस बाबत अनुशंषा की गई थी। अंत में दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.03.2020 एवं 29.03.2020 को निरस्त करने हेतु चाराजोई की गई है।

उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उसने कहा है कि यदि उसे आराजीयात से बेदखल कर दिया जायेगा तथा गिरफ्तार कर लिया जायेगा तो उसे अपूरणीय, सामाजिक, आर्थिक व मानसिक क्षति होगी तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव तथा सिविल कारावास की सजा को अपील निस्तारण तक स्थगित रखा जायें तथा मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने का आदेश प्रदान किया जायें।

अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड की तलबी हेतु नोटिसेज जारी किये गये। रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2020 का है जबकि न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 08.12.2020 को दर्ज होना पायी जाती है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

बहस में प्रार्थी वकील ने बताया कि तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 28.02.1963 को चरागाह भूमि से सैट अपार्ट करते हुए विवादित भूमि को गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया। कुल 34 काश्तकार काबिज थे तथा 200 बीघा भूमि थी। मगर राजस्व कर्मचारियों द्वारा आदेश का अंकन नहीं कर भूमि को सिवायचक किया। भूमि पर हमारा कब्जा है। नियमन के पात्र है तथा दिनांक 28.02.1963 का आदेश अभी भी अस्तित्व में है। हम 91 के नोटिस के खिलाफ तथा बेदखली और सजा के खिलाफ आये है। तथा तहसीलदार केस दर्ज कराने हेतु सक्षम नहीं हैं। अपील स्वीकार की जायें।

राजकीय अभि० ने बहस में बताया कि प्रार्थी के द्वारा काउण्टर सूट नहीं किया गया है। उनको दावा करना चाहिए था। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज फोटोकॉपी के रूप में है तथा 91 की कार्यवाही एक स्वतंत्र कार्यवाही है। अपील खारिज की जायें।

पत्रावली पर प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2020 एवं दिनांक 12.03.2020 का अवलोकन किया गया। ए०डी०एम न्यायालय की पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत 91 की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार न्यायालय टोडारायसिंह में प्रार्थी के विरुद्ध 340/20 नम्बर से प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त पत्रावली की ऑर्डरशीट का अवलोकन किया

गया। दिनांक 15.01.2020 को नोटिस दिया जाना बताया। दिनांक 13.02.2020 को अतिक्रमी के अनुपस्थित रहने पर पुनः नोटिस जारी करने का निर्देश दिया हुआ है तथा दिनांक 12.03.2020 को बाद तामील अतिक्रमी के अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर एक माह की सिविल कारावास की सजा एवं उसे पैनल्टी से दण्डित करने एवं बेदखल करने के निर्णय को पृथक से लिखने को निर्देशित किया।

धारा 91 के तहत उक्त पत्रावली में प्रथम नोटिस संवत् 2076 हेतु अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 319/967 रकबा 1.20 हे० में से 1.20 हे० , खसरा नम्बर 321/968 रकबा 1.07 हे० में से 1.07 हे० , खसरा नम्बर 287 रकबा 0.23 हे० में से 0.23 हे० ग्राम गोलाहेड़ा के लिए नोटिस जारी कर निर्देश दिया था कि दिनांक 13.02.2020 से पूर्व विवादित भूमि को खाली करें तथा दिनांक 13.02.2020 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया था। उक्त नोटिस दिनांक 23.01.2020 को जारी किया गया। उक्त नोटिस की पुस्त पर राशि और कंचन गुर्जर नाम से अंकन मौजूद है। अन्य नोटिस इसी वाद भूमि हेतु दिनांक 14.02.2020 को इसी भूमि हेतु जारी किया जाना पाया जाता है। उक्त नोटिस के पुस्त पर भी हनुमान अंकित किया हुआ पाया जाता है। अतः अपीलांट की इस बात में दम नहीं है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। दिनांक 12.03.2020 को बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। पटवारी रिपोर्ट 340/20 में यह अंकित है कि अपीलांट द्वारा संवत् 2076 में विवादित भूमि पर 2.50 हे० भूमि में सरसों की काश्त की गई। तहसीलदार के निर्णय के बाद उक्त फसल को पटवारी द्वारा कब्जे में लिया गया था तथा फसल निलामी की थी, दिनांक 29.05.2020 को अपीलांट द्वारा 4000 रुपये की बोली लगाकर निलामी स्वयं ने छुड़वायी थी। इसी पत्रावली के साथ एक अन्य मिशल नम्बर 282/19 के निर्णय दिनांक 16.09.2019 के अनुसार संवत् 2076 में ही इसी विवादित भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था। जिसे पैनल्टी लगाने के बाद अतिक्रमी को बेदखल किया गया। इस समय उसके द्वारा टिण्डा एवं अन्य की फसल ली गई थी। तहसीलदार के निर्णय दिनांक 12.03.2020 का अवलोकन किया। उनके द्वारा पश्चातवृत्ति अतिक्रमी मानते हुए सही रूप से न्याय संगत आदेश जारी किया गया था। जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा भी बहाल रखा गया।

अपीलांट के अनुसार दिनांक 28.02.1963 को जिलाधीश टोंक द्वारा विवादित भूमि पर काबिज गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये गये थे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात फोटोकॉपी के रूप है। जिसे साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमि किस्म चरागाह भूमि थी। अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर टोंक का कोई आदेश पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो दस्तावेज दिया है वह आदेश नहीं है। अपितु अनुमोदन के लिए प्रस्तुत ड्राफ्ट था तथा हनुमान पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम के सामने चरागाह का कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा ही अंकित किया हुआ है। जबकि वर्तमान में अतिक्रमी के रूप में उसके द्वारा काफी

अधिक क्षेत्रफल पर कब्जा किया हुआ है। विवादित भूमि चरागाह भूमि होने से राजस्थान टिनैन्सी एक्ट 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है। जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में भी उक्त भूमि चरागाह भूमि के रूप में ही है। न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांत को वाद के माध्यम से चाराजोई करनी चाहिए थी। जो उसके द्वारा नहीं किया गया। भूमि का नियमन एक पृथक प्रशासनिक कार्यवाही है। वर्तमान प्रकरण ए0डी0एम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। जिसमें विवेचन के बाद न्यायालय का यह मानना है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से निर्णय किया गया। जिसमें किसी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.10.2020 प्रकरण संख्या 8/2020(हनुमान बनाम तहसीलदार टोडारायसिंह) द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक को यथावत रखा जाता है।

उक्त निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर